न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

पीठासीन अधिकारी :– संजीव कुमार वर्मा (आर०ए०एस०)

मुकदमा नम्बर 23 / 2024 | तारीख दायर 31 / 05 / 2024 | तारीख फैसला 20/09/2024

उनवान

01. कन्हैया उर्फ कालूराम पुत्र श्री सोन्या उर्फ सोनाराम जाति अहीर निवासी ग्राम सरकनपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज.)

———:: प्रार्थी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज.)

———:: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

— उपस्थित

वादीगण :— श्री विनोद यादव, एडवोकेट

—:: निर्णय ::—

प्रकरण मे सूक्ष्य वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी कन्हैया उर्फ कालूराम ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत मिन प्रार्थी की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत है कि हाल आराजी खसरा नं. 848 रकबा 0.1200है0, 849 रकबा 0.4700है0 वाके ग्राम मुण्डाना तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। वास्ते मुलाहिजा नकल हाल जमाबन्दी संलग्न कर प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे मिन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। वर्णित आराजी मे प्रार्थी व अन्य सहखातेदार का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित आराजी मे मिन प्रार्थी को हिस्सा अपने पिता सोन्या उर्फ सोनाराम से विरासत से प्राप्त हुआ है। जिसका विरासत इन्तकाल सं. 173 मिन प्रार्थी कन्हैया उर्फ कालूराम व अन्य वारिसान के नाम सही दर्ज मन्जूर हुआ है,जिसकी वावत हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.03.2018 को पेश की है, जिसमे भी प्रार्थी का सही नाम कन्हैया उर्फ कालूराम की जॉच रिपोर्ट दी है और प्रार्थी के सही नाम कन्हैया उर्फ कालूराम दर्ज किये जाने की अनशंषा की है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने वर्णित आराजी की जमाबन्दी मे प्रार्थी का गलत नाम कन्हीराम का अंकन कर दिया। जबकि प्रार्थी का सही नाम कन्हैया उर्फ कालूराम है तथा प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड व बैक पस बुक मे प्रार्थी का सही नाम कन्हैया उर्फ कालूराम का [illegible] है। गौरतलब तथ्य यह है कि प्रार्थी को विरासत से मिल अन्य आराजी [illegible] प्रार्थी का सही नाम कन्हैया उर्फ कालूराम का अंकन है। उक्त आराजी की जमाबन्दी में प्रार्थी का गलत नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.13 10:37:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज०)

06/8/24
आज पत्रावली पेश हुई। ...पक्षकार... उपस्थित।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ...[illegible]...
में दिनांक ...16/8/24... को पेश हो।

न्हीराम के अंकन होने से प्रार्थी के हितो का कुठाराघात होता है। प्रार्थी वर्णित
राजी मे अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने व बैक से लोन लेने व अन्य
ार्यवाही नहीं कर पा रही है। जिससे प्रार्थी को भारी नुकसान कारित हो रहा है।
सलिए प्रार्थी नाम दुरूस्त किया जाना उचित एंव आवश्यक है। प्रार्थी को कानून
ायदे की जानकरी नही है। मिन प्रार्थी को अपनी जमीन को बैक मे रहन रखकर
ोने लेने की जरूरत हुई तो प्रार्थी ने हल्का पटवारी के पास जाकर वर्णित आराजी
ी जमाबन्दी का अवलोकन किया जो उसमें प्रार्थी का गलत नाम कान्हीराम का
ंकन होना पाया। जिस पर प्रार्थी ने कानूनी राय मशवरा कर दिनांक 15.02.2024 को
तहसीलदार तिजारा को आवेदन पत्र पेश करव अपने दस्तावेज पेश कर गलत नाम
को दुरूस्त कराने का आग्रह किया तो तहसीलदार ने प्रार्थी के गलत नाम को दुरूस्त
करने से मना कर दिया तथा तहसीलदार ने कहा कि प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवन्यु
एक्ट मामला है और न्यायालय मे जाकर चाराजोही करा। जमाबन्दी मे प्रार्थी का गलत
नाम कान्हीराम के अंकन रहने से प्रार्थी को भारी कुठाराघात हो रहा है। इसलिए मिन
प्रार्थी को अपने हकूको की रक्षार्थ यर प्रार्थना पत्र पेश करना अनिवार्य हुआ है।
इसलिए प्रार्थी का नाम काबिले शुद्व किये जाने है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
लैण्ड रेवन्यु एक्ट पेश कर निवेदन है कि हाल आराजी खसरा नं. 848 रकबा 0.
1200है0, 849 रकबा 0.4700है0 वाके ग्राम मुण्डाना तहसील तिजारा जिला
खैरथल–तिजारा की जमाबन्दी मे प्रार्थी का गलत नाम कन्हीराम के स्थान पर प्रार्थी
का सही नाम कन्हैया का अंकन कर शुद्वि किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करे,प्रार्थना पत्र के संबध मे तहसीलदार,
तिजारा द्वारा अपना बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।
तहसीलदार, तिजारा ने पत्रांक/राजस्व/2024/613 दिनांक 19.06.2024 द्वारा प्रेषित
रिपोर्ट निम्नानुसार है कि उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का मुण्डाना से रिपोर्ट ली गई।
जिसमे रिपोर्ट निम्नानुसार है कि प्रार्थी कन्हैया उर्फ कालूराम पुत्र श्री सोन्या उर्फ
ोनाराम जाति अहीर निवासी सरकनपुर तहसील तिजारा के वाके ग्राम मुण्डाना
ाराजी ख.नं. 848, 849 मे कान्हीराम उर्फ कालू पुत्र सोन्या जाति अहीर निवासी
रकनपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड मे वर्णित आराजी
सरा नम्बर 848, 849 मे प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की कब्जा काश्त की खातेदारी
ी आराजी है। उक्त वर्णित आराजी मे मिन प्रार्थी को विरसा अपने पिता सोन्या उर्फ
ोनाराम से विरासत से प्राप्त हुआ है। जिसका विरासत इंतकाल सं. 173 मिन प्रार्थी
न्हैया उर्फ कालूराम व अन्य वारिसान के नाम सही दर्ज मंजूर हुआ है। प्रकरण धारा
6 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का है। मुताबिक पटवारी हल्का मुण्डाना
जांच रिपोर्ट अनुसार कन्हैया उर्फ कालूराम पुत्र श्री सोन्या उर्फ सोनाराम
लग–अलग व्यक्ति ना होकर एक ही व्यक्ति है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे कन्ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.13 10:37:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी तिजारा

रिकार्ड है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 कालूराम पुत्र श्री सोन्या दर्ज धारा 136 के तहत कन्ही उर्फ कालूराम पुत्र श्री सोन्या के स्थान पर कन्हैया उर्फ लूराम पुत्र श्री सोन्या उर्फ सोनाराम जाति अहीर निवासी सरकनपुर तहसील तिजारा पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार शुद्व किया जाना उचित है। एवं सरंपच, ग्राम चायत, मुण्डाना प0स0 तिजारा के पत्र दिनांक 04.08.2024 मे अवगत कराया कि माणित किया जाता है कि कन्हैया उर्फ कालुराम पुत्र सोना जो कि सरकनपुर निवासी और ये दोनो नाम एक है। व्यक्ति के है जिसको गॉव मे इनही नाम से जाना जाता जो अब शुद्विकरण करवाना चाहता है जिसका असली नाम की कन्हैया पुत्र सोना है।

प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अधिवक्ता को सुना जाकर, पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार, तिजारा अनुशंषा पर प्रार्थना प्रत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नं. 848 रकबा 0.1200है0, 849 रकबा 0.4700है0 वाके ग्राम मुण्डाना तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा पर प्रार्थी का गलत नाम कन्हीराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम कन्हैया का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिंजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल तिजारा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.13 10:37:40 IST
Reason: SelfAttested